अंतिम विनियम
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर – 462 016

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्रमांक – 3023/मप्रविनिआ/2005, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 61 सहपठित धारा 181 (2) (जेड डी) तथा 181 (एच) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग निम्न विनियम बनाता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (जी–28 का 2005)

अध्याय – 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :

1.1 ये विनियम 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005' (जी–28 का 2005) कहे जायेंगे ।

1.2 इन विनियमों का विस्तार पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा :

1.4 ये विनियम विद्युत अधिानियम, 2003 की धारा 62 के अर्न्तगत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/खुली पहुंच उपभोक्ता के टैरिफ अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे जहां पारेषण प्रणाली की क्षमता मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्य प्रदेश राज्य खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 के अन्तर्गत आवंटित की गई हो, परन्तु उन पर लागू न होंगे जहां टैरिफ का अवधारण अधिनियम की धारा 63 के उपबन्धों के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार किया गया हो ।

3. प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ होना :

1.5 शंकाओं के निवारण के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अंतर्गत विर्निदिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन सर्वोच्च है तथा यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा हितग्राहियों को प्रोउन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबंधित नहीं करेगा तथा इस प्रकार से सहमत किये गये प्रोउन्नत मानदण्ड टैरिफ अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे ।

4. परिभाषाएं :

1.6 जब तक संदर्भ अन्यथा न हो इन विनियमों में –

(ए) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(बी) ''लेखांकन विवरण–पत्रक'' से अभिप्रेत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित विवरण–पत्रक, अर्थातः

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग I में अर्न्तविष्ट फार्म के अनुसार तैयार किया गया आय–व्यय विवरण पत्रक (बैलेंस शीट);

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के उपबन्धों के परिपालनार्थ लाभ–हानि लेखा;

(iii) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊटेंट्स ऑफ इण्डिया के रोकड़ प्रवाह विवरण–पत्रक (कैश फ्लो स्टेटमेन्ट) के लेखांकन मानक (ए.एस–3) के अनुसार तैयार किया गया रोकड़ प्रवाह विवरण–पत्रक;

(iv) उत्पादक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षको का प्रतिवेदन;

(v) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत अभिलेख यदि कोई हो;

(vi) उपरोक्त के साथ संबंधित टीपें (नोट्स) तथा समर्थित विवरण–पत्रक तथा जानकारी, जिसके संबंध में आयोग समय–समय पर निर्देशित करेगा;

(सी) ''आवेदक'' से अभिप्रेत है एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा इन विनियमों के अनुसार टैरिफ अवधारण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें सम्मिलित हैं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसका टैरिफ आयोग के द्वारा स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले व्यक्ति अथवा प्रभावित हितग्राही की याचिका द्वारा समीक्षा का विषय है;

(डी) ''उपलब्धता'' का कतिपय पारेषण प्रणाली के संबंध में किसी दिये गये समय के विषय हेतु से अभिप्रेत है उक्त अवधि में घंटों में समय जिस हेतु पारेषण प्रणाली उसके द्वारा घोषित वोल्टेज पर विद्युत पारेषण उसके वितरण बिन्दु तक ले जाने में सक्षम है तथा इसे दिये गये समय हेतु कुल घंटों के प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जावेगा;

(ई) ''बैंक दर'' से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक के कतिपय सुसंगत वर्ष की 1 अप्रेल को लागू बैंक दर;

(एफ) ''आधार वर्ष'' से अभिप्रेत है, टैरिफ अवधि का प्रथम वर्ष;

(जी) ''हितग्राही'' से अभिप्रेत है दोनों दीर्घ–अवधि तथा लघु–अवधि के खुली पहुंच उपभोक्ता जैसा कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक रूप से एक दीर्घ–अवधि उपभोक्ता होगा जिसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ एक उपयुक्त अनुबंध करना होगा;

(एच) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

(आई) ''अनुबंधित ऊर्जा'' से अभिप्रेत है, वह ऊर्जा मेगावाट में, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी क्रेता हेतु (दोनों दीर्घ–अवधि एवं लघु–अवधि वाले) पारेषण सेवा अनुबंध अनुसार अथवा अन्यथा वहन करने हेतु सहमति दी है;

(जे) ''वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि, अर्थात्, डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन–सी.ओ.डी'' का पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के संबंध में अभिप्रेत है किसी पारेषण प्रणाली को उसके घोषित वोल्टेज स्तर पर प्रभारित करने की तिथि अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारण हेतु तैयार घोषित तिथि के सात दिवस के भीतर की तिथि होगी यद्यपि वह क्रेताओं संबंधी परिस्थितियों के कारणवश वास्तविक रूप से प्रभारित नहीं की जा सकी हो;

(के) ''घोषित वोल्टेज'' से अभिप्रेत है, वोल्टेज जैसा कि भारतीय विद्युत नियम, 1956 की धारा 54 में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा जिसे समय–समय पर संशोधित किया गया हो;

(एल) ''अनुज्ञप्तिधारी'' की परिभाषा में वह व्यक्ति सम्मिलित होगा जो कि अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी माना गया हो;

(एम) ''अधिकारी'' से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी;

(एन) ''सचिव'' से अभिप्रेत है आयोग के सचिव;

(ओ) ''टैरिफ'' से अभिप्रेत है विद्युत पारेषण के प्रयोज्य हेतु प्रभारों की अनुसूची के साथ साथ उसकी निबंधन एवं शर्तें;

(पी) ''टैरिफ अवधि'' से अभिप्रेत है इन विनियमों के अंतर्गत वह अवधि जिस हेतु आयोग द्वारा टैरिफ दरें अवधारित की गई हैं;

(क्यू) ''पारेषण सेवा अनुबंध'' से अभिप्रेत है समझौता, अनुबंध, परस्पर समझौते का ज्ञापन (मेमोरेडम ऑफ अण्डर स्टैडिंग – एम ओ यू) अथवा व्यवस्थाएं (Convenants) जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा पारेषण सेवा/लाईनों के हितग्राहियों के मध्य संपन्न हुई हों;

(आर) ''पारेषण प्रणाली'' से अभिप्रेत है कतिपय लाईन जो उपकेन्द्रों से संबद्ध है अथवा अर्न्त–संयोजित लाईनों के समूह के साथ संबद्ध हुए उपकेन्द्र तथा इस शब्द से अभिप्रेत पारेषण लाईनों एवं उपकेन्द्रों से संबद्ध उपकरणों से भी होगा;

(एस) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष, तथा

(i) ''चालू वर्ष'' से अभिप्रेत है वर्ष जिसमें वार्षिक लेखों का विवरण–पत्रक अथवा टैरिफ अवधारण हेतु याचिका प्रस्तुत की गई हो,

(ii) ''पिछला वर्ष'' से अभिप्रेत है चालू वर्ष से ठीक पूर्व का वर्ष,

(iii) ''आगामी वर्ष'' से अभिप्रेत है चालू वर्ष से ठीक अगला वर्ष ।

1.7 इस विनियम में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं है, वहीं अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम में दर्शाया गया है ।

5. टैरिफ का अवधारण :

1.8 आयोग निम्न प्रकरणों में टैरिफ अवधारण के साथ उसकी शर्तें एवं निबंधन का निर्धारण भी कर सकेगाः

(i) राज्यीय विद्युत पारेषण संबंधी;

(ii) अर्न्तवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोगार्थ दरें एवं प्रभार जिन पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा परस्पर समझौता नहीं किया जा सकता हो ।

1.9 अधिनियम के भाग 10 में चाहे कुछ भी निहित क्यों न हो, अर्न्तराज्यीय विद्युत प्रदाय, पारेषण अथवा चक्रण, जैसा लागू हो दो राज्यों के क्षेत्रों की सहभागिता हेतु टैरिफ अवधारण, उन पक्षकारों द्वारा जो विद्युत प्रदाय, पारेषण अथवा चक्रण के उत्तरदायित्व वहन करने के इच्छुक हो द्वारा आवेदन किये जाने पर, उसका अवधारण आयोग द्वारा किया जा सकेगा जहां विद्युत वितरण के इच्छुक अनुज्ञप्तिधारी तथा उसके भुगतान संबंधी मामले आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हों ।

1.10 इन विनियमों में कुछ भी विनिर्दिष्ट क्यों न हो, आयोग द्वारा ऐसी टैरिफ दर को भी अपनाया जा सकेगा जो केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया द्वारा अवधारित किया गया हो ।

6. टैरिफ अवधारण के सिद्धांत :

1.11 आयोग इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ अवधारण की निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते समय अधिनियम धारा 61 में निहित सिद्धान्तों के मार्गदर्शन का अनुसरण करेगा ।

1.12 ये विनियम पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सुस्थिर वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर प्रचालन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करता है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उनके लेखांकन विवरण पत्रक कंपनी कानून की आवश्यकताओं के अनुसार बनाना होंगे तथा उसके द्वारा आयोग को अनुच्छेद 1.26 में दिये गये विवरणानुसार नियमित रूप से प्रस्तुत करना होंगे । औद्योगिक मानदण्डों के अनुरूप, केवल मितव्ययी स्तर के प्राप्ति योग्य तथा व्यय योग्य व्ययों को ही कार्यकारी पूंजी तथा अनुज्ञेय व्ययों की परिगणना हेतु मान्य किया जा सकेगा । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजी (इक्विटी) से अर्जित प्रतिलाभ आयोग द्वारा नियत प्रचालन तथा लागत मानदण्डों के विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुसार किये गये निष्पादन पर निर्भर करेगा । आस्ति आधार में सम्मिलित किये जाने हेतु केवल मितव्ययी पूंजीगत व्यय को ही मान्य किया जावेगा । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रबंधन संसूचना प्रणाली (एमआईएस) एवं मितव्ययी मानव संसाधन नीतियों (उत्पादक बढ़ाये जाने बावत कर्मियों को प्रोत्साहित करना तथा प्रेरित करना) के क्रियान्वयन किये जाने हेतु इस बावत लगाई गई लागत को अनुज्ञेय टैरिफ में सम्मिलित किया जाकर उसे पुरस्कृत किया जावेगा ।

1.13 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों का उद्देश्य केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के सिद्धान्तों के अनुरूप प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक सिद्धान्तों को अंगीकार करना, पारेषण कंपनी की दक्षतापूर्ण कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना तथा टैरिफ अवधि का समकालन किया जाना है । टैरिफ अवधि हेतु, प्रचालन तथा लागत मानदण्ड, पूर्व अवधि में किये गये निष्पादनों एवं अन्य आयोगों द्वारा नियत आधार मानदण्डों के आधार पर निविर्दिष्ट किये गये हैं । टैरिफ अवधि के दौरान ये प्रचालन तथा लागत मानदण्ड दक्ष स्तरों की ओर अग्रसर होते हैं तथा स्वीकार्य टैरिफों का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाता है । वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाये जाने पर बचत का एक भाग स्वंय के पास रखने की अनुमति दी जाती है । इसके द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जाती है । हितग्राही भी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग द्वारा टैरिफ में कमी तथा प्रदाय में गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता द्वारा प्राप्त लाभ में भागीदारी द्वारा लाभान्वित हो सकेंगे । तथापि, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित मानदण्डों को प्राप्त न किये जाने पर होने वाली हानियों को हितग्राहियों को अन्तरित नहीं किया जा सकेगा ।

1.14 केवल वे ही विनियोजन तथा पूंजीगत व्यय जो इस संबंध में आयोग द्वारा विरचित दिशा–निर्देशों के अनुरूप होंगे को ही टैरिफ के माध्यम से प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति दी जा सकेगी । इसके द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी मितव्ययी विनियोजन किया जाना सुनिश्चित कर सकेगा ।

7. टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया :

1.15 टैरिफ अवधारण हेतु एक आवेदन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार, मय विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जावेगा ।

1.16 आयोग को समस्त समयों पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की किसी स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा टैरिफ तथा उसके निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण का प्राधिकार होगा तथा ऐसे अवधारण की प्रक्रिया को जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जावेगा, के अनुसार प्रारंभ कर किया जा सकेगा ।

बशर्ते ऐसे टैरिफ के साथ संबंधित निबंधन तथा शर्तों के अवधारण संबंधी कार्यवाही को जैसा कि कार्य संचालन विनियमों में प्रदर्शित है, के अनुसार किया जावेगा :

1.17 आवेदक, आयोग को आवेदन के एक भाग के रूप में ऐसे प्रपत्रों में जैसे कि आयोग द्वारा चाहे जावेंगे, टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना का पूर्ण विवरण जिस हेतु उसे अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसरण में पुर्नप्राप्ति किये जाने हेतु अनुमति दी गई है, प्रदान करेगा तथा तत्पश्चात वह आयोग को आगे ऐसी जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा गणना की जांच हेतु युक्तियुक्त रूप से चाही जावेगी, प्रस्तुत करेगा [कृपया देखें मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना) विनियम 2005] । पारेषण

अनुज्ञप्तिधारी आयोग को प्रस्तुत याचिका के समस्त विवरण उसकी स्वीकृति दिनांक से 3 दिवस के अन्दर वेबसाईट पर दर्शायेगा ।

1.18 आयोग अथवा सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोज्य से पदांकित किसी अधिकारी के आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत आवेदक को कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा अभिलेख जो कि आवेदन पर यथोचित कार्यवाही के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जावेंगे, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगा ।

1.19 सम्पूर्ण आवेदन की प्राप्ति, के साथ समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं अभिलेख जो अर्हताओं के परिपालनार्थ आवश्यक हों, के प्राप्त होने की दशा में आवेदन को प्राप्त किया गया माना जावेगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोज्य से पदांकित अधिकारी आवेदन को ऐसे संक्षिप्त रूप में एवं विधि अनुसार आवेदक को सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जावे [कृपया देखें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004)] ।

1.20 आवेदक आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें तथा अभिलेख (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियां) के साथ लेखांकन विवरण पत्रक, प्रचालन तथा लागत आंकड़े जैसा कि आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु चाहे जावें, प्रस्तुत करेगा ।

1.21 आयोग, यदि वह उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो आवेदक ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों के संक्षेप तथा अभिलेखों के (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियों के) उपलब्ध करा सकेगा ।

बशर्ते, आयोग कतिपय आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, अभिलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकार युक्त होगी जो कि निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध न कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा सिवाय जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया जावे ।

8. टैरिफ अवधारण की रीति :

1.22 आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की टैरिफ अवधियों का निर्धारण समय–समय पर कर सकेगा । टैरिफ अवधारण के सिद्धान्त टैरिफ अवधि के दौरान प्रयोज्य होंगे । टैरिफ अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का आरंभ दिनांक 1 अप्रेल, 2006 को आरंभ तीन वर्षीय की अवधि के अनुसार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग से समकालन द्वारा किया जावेगा तथा इन विनियमों के उपबंध वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु इन सिद्धान्तों के अनुरूप आवेदक को आवेदन तैयार करने की दृष्टि से, अधिसूचना जारी होने के तत्काल प्रभाव से लागू हो जावेंगे ।

1.23 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु टैरिफ अवधारण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पूर्ण टैरिफ प्रणाली हेतु किया जावेगा ।

1.24 परियोजना की पूंजीगत लागत को, प्रक्रम (स्टेज)–वार तथा विशिष्ट इकाइयों द्वारा जो परियोजना का एक भाग हो, पृथक–पृथक किया जावेगा । जहां परियोजना के लाईन–वार अथवा उपकेन्द्र–वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रकरणों में, संयुक्त सुविधाओं को इकाइयों अथवा लाईनों अथवा उपकेन्द्रों की क्षमता के अनुरूप अनुपातिक आधार पर बांटा जावेगा ।

व्याख्या : ''परियोजना'' में पारेषण प्रणाली सम्मिलित है ।

1.25 एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ अवधि के आरंभ में तथा तदोपरांत प्रतिवर्ष एक याचिका दायर करेगा। आयोग द्वारा आकड़ों के सूक्ष्म परीक्षण तथा उसका सत्यापन करने तथा कतिपय अनियन्त्रित परिवर्तन को समायोजित करने हेतु समीक्षा की जावेगी। इसकी प्रस्तुति मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004 में विनिर्दिष्ट अनुसार तथा निर्धारित प्रपत्रों में प्रति वर्ष 15 अक्टूबर तक की जावेगी ।

9. वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों आदि को तैयार करना तथा उनका प्रस्तुतिकरण :

1.26 प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लेखों के वार्षिक विवरण पत्रक तथा ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे, प्रस्तुत करना होंगे । वार्षिक लेखों की प्रस्तुति के अतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा अधिसूचित समय–समय पर विभिन्न विनियमों की संसूचना अर्हताओं तथा अनुज्ञप्ति शर्तों का अनुपालन करना होगा ।

1.27 जानकारी के अभाव में, आयोग कतिपय स्वविवेक याचिका द्वारा कार्यवाही का आरंभ कर सकेगा ।

10. टैरिफ अवधारण में अंतराल :

1.28 टैरिफ अथवा टैरिफ का कोई भी अंश किसी भी वित्तीय वर्ष में सामान्यतः एक से अधिक बार के अन्तराल में संशोधित नहीं किया जावेगा ।

1.29 आयोग, स्वयं के द्वारा तुष्ट होने पर तथा इस हेतु कारण लिखित में अभिलिखित किये जाने के पश्चात ही, टैरिफ में संशोधन की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

1.30 इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन किसी वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति, किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित टैरिफ में विकलित की जा सकेगी, यदि आयोग सन्तुष्ट हो कि किसी राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किन्हीं विशिष्ट कारणों से पारेषण अनुज्ञप्ति के नियंत्रण में न होने के कारणवश है ।

11. सुनवाई :

1.31 टैरिफ आवेदन पर सुनवाई संबंधी प्रक्रिया मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, में विनिर्दिष्ट अनुसार की जावेगी ।

12. आयोग के आदेश :

1.32 किसी याचिका के दायर किये जाने पर आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से किसी अधिक जानकारी, विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक अभिलेख आदि जैसा कि आयोग उचित समझे की मांग कर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गणनाओं, अनुमानों एवं अभिकथनों के मूल्यांकन हेतु समर्थ हो सके ।

1.33 जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, आयोग मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004 के उपबंधों के अनुरूप समुचित आदेश जारी कर सकेगा ।

13. अनुमोदित राशि से की गई अधिक वसूली की वापसी :

1.34 किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को जिसे हितग्राहियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से अधिक टैरिफ प्रभारित करते हुए पाया जावेगा के संबंध में यह माना जावेगा कि उसके द्वारा आयोग के आदेशों का उल्लंघन किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा 146 के अन्तर्गत अधिनियम के अन्य उपबंधों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी के स्वयं पर आरोपित अन्य किसी दायित्व बिना किसी पक्षपात के दण्डित किये जाने की पात्रता होगी।

1.35 यदि कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ से अधिक भारित राशि वसूल करता है, ऐसी दशा में अधिक भारित की गई राशि की वापसी, हितग्राहियों जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया हो उक्त (रिफण्ड) अवधि का ब्याज सम्मिलित कर ऐसी दर पर जो बैंक दर के बराबर होगी, हितग्राहियों को, की जावेगी ।

14. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक समीक्षा :

1.36 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे नियतकालिक विवरणिका पत्र (रिटर्न) जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जावे जिनमें प्रचालन तथा लागत आंकड़े दर्शाये जावेंगे, आयोग को उसके आदेश के परिपालन को सुनिश्चित किये जाने संबंधी प्रबोधन (मानिटरिंग) हेतु, प्रस्तुत करेगा ।

1.37 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण पत्रक तथा लेखा के साथ–साथ अंकेक्षित लेखे के अन्तिम प्रतिवेदन तथा इन विनियमों के अनुसार की गई टैरिफ गणना प्रस्तुत करेगा।

1.38 आयोग वार्षिक लेखे, उपलब्ध किये गये मानदण्ड, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई टैरिफ गणना का सूक्ष्म परीक्षण करेगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई टैरिफ गणना का आयोग द्वारा इस विनियम के अनुसार जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन परीक्षण किया जावेगा ।

1.39 यदि कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी किसी एक वर्ष में इन विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य उपलब्धि संबंधी मानदण्ड निर्धारित की गई उपलब्धता की प्राप्ति में असफल रहता हो, ऐसी दशा में उसके द्वारा उक्त वर्ष में अतिरिक्त वसूल की गई उक्त राशि की वापसी अथवा समायोजन वास्तविक निष्पादन के अवधारण के आधार पर अगले त्रैमास के देयकों की राशि में किया जा सकेगा ।

अध्याय – 2

टैरिफ अवधारणा के सिद्धान्त तथा पद्धति

15. टैरिफ अवधारण की याचिका :

2.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अध्याय–1 में उपबंधों के परिपालन में तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004 के अनुसार टैरिफ अवधारण बावत एक याचिका दायर करेगा ।

2.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दीर्घ–अवधि सिद्धातों पर आधारित टैरिफ अवधारण की याचिका प्रस्तुत करेगा। ये सिद्धांत केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की टैरिफ अवधि से समकालन द्वारा दिनांक 01 अप्रेल, 2006 से 3 वर्ष अवधि हेतु लागू होंगे।

2.3 आयोग द्वारा अवधारित प्रावधिक टैरिफ तथा अन्तिम टैरिफ का अन्तर जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण आरोपणीय न हो, को आगामी वर्ष के टैरिफ में जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जावेगा, समायोजित किया जा सकेगा ।

16. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के सिद्धान्त :

2.4 आयोग ने इन विनियमों की संरचना में केन्द्रीय आयोग (सी.ई.आर.सी) द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांतों तथा पद्धतियों संबंधी आदेश, जो दिनांक 1.04.2004 से प्रभावशाली हैं, से मार्गदर्शन लिया है। यह अध्याय उन सिद्धांतों तथा निबंधन एवं शर्तों का वर्णन करता है जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोज्य होंगे।

17. पूंजीगत लागत एवं पूंजीगत ढांचा :

2.5 आयोग द्वारा किसी सतर्कता पूर्वक की गई जांच के निष्कर्ष के आधार पर परियोजना की समाप्ति तक निकाला गया वास्तविक व्यय ही टैरिफ अवधारण का आधार होगा । टैरिफ का अवधारण पारेषण प्रणाली पर वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक किये गये स्वीकार्य पूंजी व्यय पर आधारित होगा तथा इसमें पूंजीकृत आरंभिक कलपुर्जे

(स्पेअर्स) भी सम्मिलित किये जावेंगे जो मूल परियोजना व्यय के 1.5 प्रतिशत उच्चतम मापदण्ड के अध्यधीन होंगे ।

बशर्ते अनुबंध के क्रियान्वयन किये जाने से पूर्व अथवा पारेषण सेवा अनुबंध जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एवं दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं के मध्य हस्ताक्षरित किया गया हो, जहां वास्तविक व्यय की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित की गई हो, पूंजी व्यय टैरिफ अवधारण बावत ऐसी निर्धारित परिसीमा से अधिक न होगा ।

2.6 आयोग द्वारा लागत प्राक्कलनों का सूक्ष्म परीक्षण पूंजीगत लागत, वित्त प्रबंध योजना, निर्माण अवधि में ब्याज दर राशि, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के संबंध में टैरिफ अवधारण हेतु किया जावेगा तथा आयोग इस संबंध में जैसा कि वह उचित समझे विशेषज्ञ परामर्श भी प्राप्त कर सकेगा ।

2.7 जहां पारेषण सेवा अनुबंध में पूंजी लागत की उच्चतम सीमा उपबंधित की गई हो, ऐसी दशा में विचार की जाने वाली पूंजी लागत ऐसी परिसीमा से अधिक न होगी ।

2.8 पूंजीगत लागत के पुर्नगठन को जो पूंजी (इक्विटी) एवं ऋण के अनुपातिक अंशदान से संबंधित हो को टैरिफ अवधि में अनुमति दी जा सकेगी बशर्ते यह टैरिफ को विपरीतात्मक प्रभावित न करे । इस प्रकार किये गये किसी पुर्नगठन द्वारा प्राप्त कतिपय लाभ को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के दीर्घ–अवधि राज्यीय खुली पहुंच क्रेताओं को ऐसे अनुपात में जैसा कि आयोग विनिर्दिष्ट करेगा अन्तरित किया जा सकेगा ।

18. अतिरिक्त पूंजीकरण :

2.9 निम्नांकित वास्तविक पूंजीगत व्यय, जो वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बाद किया गया हो तथा जिसे उचित रीति से लेखा परीक्षित किया गया हो पर आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण उपरांत विचार किया जा सकेगा :

(ए) कार्य के मूल प्रावधान के अर्न्तगत विलंबित दायित्वों के कारण,

(बी) कार्य के मूल प्रावधान के अर्न्तगत कार्य, जिन्हे निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया है,

(सी) मूल कार्यों की परिसीमाओं के अन्तर्गत, माध्यस्थम प्रकरण में पारित निर्णय के पालनार्थ अथवा आदेश के परिपालन में, न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में,

(डी) कानून में किसी परिवर्तन के कारण,

(ई) विनियम 16 में निर्धारित उच्चतम सीमाओं के अध्यधीन मूल परियोजना की लागत में सम्मिलित प्रारंभिक कलपुर्जो की प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु;

(एफ) कोई अतिरिक्त कार्य/सेवाएं, जो पारेषण प्रणाली के दक्ष एवं सफल संचालन हेतु अपरिहार्य हो गये हों परन्तु मूल पूंजीगत लागत में सम्मिलित नही हैं ।

बशर्ते, कि प्रावधिक टैरिफ अवधारण के आवेदन के साथ कार्य के मूल प्रावधानों के साथ–साथ व्यय के प्राक्कलनों को भी प्रस्तुत किया जावेगा ।

तथा बशर्ते कि अंतिम टैरिफ आवेदन के साथ विलंबित दायित्वों एवं निष्पादन हेतु स्थगित कार्यों की सूची वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरांत प्रस्तुत की जावेगी।

टीप–1

कार्य की मूल सीमा के अंतर्गत दायित्व हेतु स्वीकृत कोई व्यय तथा वह व्यय जिसे तकनीकी–वित्तीय आधार पर विलंबित किया गया हो, परन्तु जो मूल कार्य सीमा के अंतर्गत आते हों को निर्धारित मानकों के अनुसार मानक ऋण–इक्विटी अनुपात में जैसा कि विनियम 19 में निर्दिष्ट किया गया है, निर्वहन किया जावेगा।

टीप–2

पुरानी परिसम्पतियों की प्रतिस्थापना हेतु किये जाने वाला कोई व्यय उसकी मूल लागत में से मूल परिसम्पितयों के सकल मूल्य के अपलेखन पश्चात ही मान्य किये जाने हेतु विचार किया जावेगा । निकास की गई सम्पत्तियों के विक्रय से होने वाली हानि की अनुमति दिये जाने से पूर्व प्रत्येक परिसम्पति की प्रत्येक वस्तु का विस्तृत परीक्षण, जिसे उसके उपयोगी जीवन से पूर्व निकासित किया जा रहा है, किया जावेगा।

टीप–3

टैरिफ अवधारण हेतु आयोग द्वारा नये कार्यों पर मान्य किया गया कोई व्यय जो मूल कार्यों के प्रावधान के अर्न्तगत न आता हो का निर्वहन विनियम 19 में विनिर्दिष्ट निर्धारित मानकों के अनुसार मानकीकृत ऋण–पूंजी (इक्विटी) अनुपात में किया जावेगा।

टीप–4

आयोग द्वारा टैरिफ अवधारण हेतु मान्य किया गया कोई व्यय जो परिसम्पतियों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, उनकी जीवन अवधि का विस्तार करने एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त संपतियों की पुर्नस्थापन हेतु किया गया हो का निर्वहन विनियम 19 में विनिर्दिष्ट अनुसार मानक ऋण–पूंजी अनुपात में, मूल लागत में से प्रतिस्थापित परिसम्पतियों के मूल्य के अपलेखन उपरांत किया जावेगा।

19. ऋण–पूंजी (इक्विटी) अनुपात :

2.10 टैरिफ अवधारण की दृष्टि से नवीन पारेषण लाईन अथवा उपकेन्द्र को चालू करने अथवा उसकी क्षमता वृद्धि के प्रकरणों में वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को ऋण–पूंजी का अनुपात 70:30 होगा । इस अनुच्छेद अनुसार गणना की गई ऋण–पूंजी राशि का उपयोग ऋण पर ब्याज, पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ (रिटर्न), अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम तथा विदेश विनिमय दर परिवर्तन की गणना हेतु किया जावेगा।

2.11 जहां पूंजी 30% से अधिक प्रयुक्त की गई हो, टैरिफ अवधारण के प्रयोजन हेतु पूंजी का राशि को 30% तक सीमित रखा जावेगा तथा शेष राशि को ऋण मान्य किया जावेगा। पूंजी से 30% आधिक्य राशि पर, जिसे ऋण समझा गया हो, प्रयोज्य ब्याज दर विनियम 21 में विनिदिष्ट की गई है। जहां लगाई गई वास्तविक पूंजी 30% से कम हो, वहां वास्तविक पूंजी पर ही विचार किया जावेगा।

20. पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ :

2.12 पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना विनियम 19 के उपबंधों अनुसार चुकाई गई इक्विटी पूंजी पर किये गये अवधारण पर की जावेगी तथा यह गणना 14 प्रतिशत (टेक्स गणना उपरांत) होगी जब तक कि आयोग इससे कम दर अनुज्ञेय न करे, जिस हेतु कारण लिखित में अभिलिखित किये जावेंगे ।

2.13 बशर्ते कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, निर्धारित दर पर अनुज्ञेय पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ को कार्य में नियोजन किये जाने पर, आयोग द्वारा विनिश्चित वार्षिक हानि का लक्ष्य निष्पादन किया जाना बाध्यकारी होगा । आयोग द्वारा विनिश्चत लक्ष्य से प्रत्येक एक प्रतिशत के विचलन हेतु, इक्विटी पर अनुज्ञेय लाभ पर 0.05 प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी, जैसा कि प्रकरण हो, की जा सकेगी । प्रगति को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से अनुज्ञेय किया जावेगा ।

2.14 पूंजीगत अंशदान जारी करते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रवर्तित पूंजी (प्रीमियम) एवं सुरक्षित कोष से सृजित आंतरिक संसाधनों का निवेश यदि कोई हो, तो इसकी गणना चुकाई गई पूंजी बतौर पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ के अनुरूप अनुच्छेद 2.12 के अनुसार की जावेगी बशर्ते ऐसी प्रवर्तित पूंजी एवं आंतरिक संसाधन वास्तविक तौर पर पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग किये जावें तथा अनुमोदित वित्तीय संव्यवहार (पैकेज) का भाग बनें । प्रतिलाभ की संगणना के प्रयोजन हेतु, पूंजीगत व्यय की आपूर्ति हेतु सुरक्षित कोष के भाग को उस तिथि से, जब से कि वह पारेषण व्यापार में उत्पादकता हेतु प्रयुक्त किया जावेगा, माना जावेगा।

2.15 विदेशी मुद्रा में निवेशित पूंजी (इक्विटी) को उसी मुद्रा में निर्धारित परिसीमा के अन्तर्गत प्रतिलाभ हेतु अनुज्ञेय किया जावेगा तथा इस प्रयोजन से आगामी वर्ष हेतु इसकी परिगणना भारतीय रूपयों में चालू वर्ष के माह मार्च की प्रथम तिथि को विनिमय दर पर आधारित होगी।

21. ब्याज एवं ऋण पूंजी पर वित्तीय प्रभार :

2.16 ऋण पूंजी पर ब्याज एवं वित्तीय प्रभारों की गणना बकाया ऋणों के आधार पर की जावेगी जिसमें ऋण, बांड अथवा ऋण पत्र से संबद्ध अनुबन्ध के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार ऋण अदायगी कार्यक्रम (शेड्यूल) को ध्यान में रखा जावेगा एवं जो कि सामान्यतः पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की सावधि ऋण प्रदाय दर अथवा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दरों तक सीमित होंगी। इनमें विद्यमान तथा पिछले ऋणों में अपवाद किये जा सकते हैं जिनमें संपादित किये गये अनुबन्धों के अनुसार भिन्न निबधंन हो सकते हैं, यदि आयोग इस संबंध में संतुष्ट हो कि ऋण कतिपय अभिज्ञापित पारेषण परियोजनाओं हेतु अनुबंधित तथा आवेदित है। पूंजी (इक्विटी) की 30 प्रतिशत से अधिक की राशि जिसे ऋण माना जावेगा पर ब्याज दर अनुज्ञप्तिधारी की ऋण योजना की भारित औसत दर होगी ।

बशर्ते यह कि इस प्रयोजन हेतु, विचारित समस्त ऋणों को निर्मित आस्तियों के साथ चिन्हित किया जावेगा ।

बशर्ते यह कि ऋण अनुबंध जिन पर संधिवार्ता से किये गये पुर्ननिर्धारण द्वारा उच्चतर प्रभार आवें, उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा ।

बशर्ते यह कि निर्माणाधीन कार्यों पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों को छोड़ दिया जावेगा तथा इन्हें पूंजीगत लागत का एक भाग माना जावेगा ।

2.17 कतिपय अनुज्ञप्तिधारी के पास प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज प्रभारों, यदि कोई हों, पर विचार आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट दर के अनुसार किया जा सकेगा ।

2.18 यदि कोई विलंब काल अवधि संबंधी सुविधा प्राप्त की जाती है, तो विलंब काल के वर्षो में दिये गये टैरिफ अवमूल्यन को उक्त वर्षों में ऋण अदायगी माना जावेगा तथा ऋण पूंजी पर ब्याज की तदनुसार गणना की जावेगी ।

2.19 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऋण में अदला–बदली के संबंध में तब तक वे समस्त उपाय करेगा जो हितग्राही को परिशुद्ध लाभ देने में परिणित हों। इस अदला–बदली से संबद्ध लागत हितग्राही द्वारा वहन की जावेगी तथा ऋण पर ब्याज से प्राप्त कोई लाभ हितग्राही को उस अनुपात में अंतरित किया जावेगा जैसा कि आयोग निर्णय लेवे।

22. अवमूल्यन :

2.20 टैरिफ अवधारण हेतु, अवमूल्यन की गणना निम्न रीति द्वारा की जावेगी :

(अ) अवमूल्यन की गणना हेतु मूल्य आधार परिसम्पतियों की ऐतिहासिक लागत होगी, अर्थात, वास्तविक व्यय, जो अनुमोदित/स्वीकृत पूंजीगत लागत तक सीमित होगी :

बशर्ते उपभोक्ता का योगदान अथवा पूंजीगत राज्यानुदान (सबसिडी)/अनुदान आदि को अधिसूचित लेखा नियमों, जैसा कि वे समय–समय पर लागू किये जावें, के अनुसार निरूपित किया जावेगा ।

(ब) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा की निधि की प्राप्ति (फंडिग) सम्मिलित होगी जिसे कि वास्तविक तिथि पर प्रचलित विनियम दर पर समतुल्य रूपयों में परिवर्तित किया जावेगा।

(स) अनुज्ञेय योग्य अवमूल्यन के अवधारण की दृष्टि से अवमूल्यन दरें केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना के अनुसार होंगी। विद्यमान दरें इन विनियमों के **परिशिष्ट– 4** में दर्शाई गई हैं।

बशर्ते उसके जीवनकाल में परिसम्पति का कुल अवमूल्यन मूल, लागत के 90 प्रतिशत से अधिक न होगा।

2.21 किसी नवीन परियोजना में अनुमति योग्य अवमूल्यन के अतिरिक्त अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम (एडवांस अगेंस्ट डेपरिसियेशन– ए.ए.डी) को भी अनुमति निम्न दर्शाई रीति अनुसार दी जा सकेगी :

अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम (ए ए डी) = विनियम 21 के अनुसार ऋण पुर्नभुगतान राशि, जिसकी गणना विनियम 19 के अनुसार ऋण राशि के दसवें भाग की उच्चतम सीमा में से अनुसूची के अनुसार अवमूल्यन को घटा कर की जावेगी।

बशर्ते यह कि किसी नवीन परियोजना हेतु अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम को अनुमति ऐसी दशा में ही दी जा सकेगी जबकि संचयी अदायगी की राशि किसी विशिष्ट वर्ष तक उक्त वर्ष तक संचयी अवमूल्यन से अधिक हो।

बशर्ते आगे यह भी कि किसी एक वर्ष में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम की सीमा संचयी पुर्नभुगतान तथा संचयी अवमूल्यन की राशि के अन्तर तक सीमित रखी जावेगी ।

2.22 पूर्ण ऋण की अदायगी पश्चात बकाया अवमूल्यित राशि को परिसम्पति के शेष उपयोगी जीवनकाल में विस्तारित किया जावेगा ।

2.23 अवमूल्यन को प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित किया जावेगा । वर्ष के कतिपय भाग में प्रचालन संबंधी प्रकरण में परिसम्पति के अवमूल्यन को अनुपातिक दर से प्रभारित किया जावेगा ।

2.24 पर्यावरणीय संरक्षण से संबद्ध परिसम्पतियों के विरूद्ध अवमूल्यन को अनुज्ञेय टैरिफ निर्धारण के समय प्रकरण से प्रकरण आधार पर इस शर्त पर किया जावेगा कि पर्यावरणीय मानकों को, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है, का अनुपालन कर लिया गया है ।

23. पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार :

2.25 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पटटे (लीज) पर ली गई परिसम्पतियों पर पटट्ा संबंधी अनुबंध अनुसार पटट्ा प्रभारों पर विचार किया जा सकेगा बशर्ते आयोग इन्हें युक्तियुक्त समझे।

24. प्रचालन एवं संधारण व्यय :

2.26 'प्रचालन एवं संधारण व्यय अर्थात् आपरेशन एण्ड मेंटनेंस एक्सपेन्सिस–ओ एण्ड एम एक्सपेन्सिस)' से अभिप्रेत है जनशक्ति, मरम्मत, कलपुर्जों (स्पेअरर्स), उपभोग्य वस्तुओं, कार्यालयीन प्रशासन तथा सामान्य मद के अन्तर्गत किये गये व्यय ।

2.27 टैरिफ अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण व्यय का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानक प्रचालन एवं विनियमों के अर्न्तगत विनिर्दिष्ट मानक प्रचालन एवं संधारण व्यय पर आधारित होगा। इस प्रकार आयोग पूर्व वर्षों के वास्तविक पर आधारित नमूना व्यय में लागत जोडकर पद्धति के बजाय निष्पादन आधारित मानदण्ड पद्धति की ओर अग्रसर हो रहा है।

2.28 टैरिफ अवधि के प्रारंभ में स्वीकृत किये गये मानकीकृत प्रचालन तथा संधारण व्ययों की अभिवृद्धि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त वर्ष हेतु अधिसूचित प्रचलित मुद्रास्फिती दरों पर की जावेगी तथा इस प्रकार की गई गणना को थोक विक्रय मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मध्य क्रमशः 60:40 के अनुपात में एक भारित औसत के बतौर माना जावेगा । प्रथम टैरिफ अवधि हेतु, मुद्रास्फिति की यह दर 6% मानी गई थी ।

2.29 युद्ध, विद्रोह अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण व्यय में अभिवृद्धि, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, पर आयोग इसे विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा ।

2.30 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित कतिपय बचत को उसे स्वयं के पास रोके जाने की अनुमति दी जा सकेगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों से आधिक्य के कारण होने वाली हानि को अनुज्ञप्तिधारी को वहन करना होगा ।

25. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार :

2.31 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा गणना की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जावेगी तथा इसकी गणना स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सुसंगत वर्ष की 1 अप्रेल को प्रयोज्य लघु–अवधि मुख्य ऋण प्रदाय दर (शार्ट–टर्म प्राईम लैंडिग रेट) की समतुल्य दर में 1% जोड़कर की जावेगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा, भले ही अनुज्ञप्तिधारी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजी ऋण मानकीकृत आंकडों के आधार से अधिक हो गया हो ।

26. विदेश विनियम दर परिवर्तन (फॉरेन एक्चेंज रेट वेरियेशन–एफईआरवी) :

2.32 विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में जो कि न ही अन्तरित किये गये हों अथवा रूपये ऋण में परिवर्तित किये हों, वास्तविक रूप से की गई ब्याज अदायगी तथा ऋण पुर्नभुगतान संबंधी रूपयों में अतिरिक्त दायित्व सुसंगत वर्ष में अनुज्ञेय होगा; बशर्ते यह विदेश विनिमय दर परिवर्तन से सीधे उद्‌भूत हुआ हो एवं अनुज्ञप्तिधारी या उसके सामग्री आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार द्वारा की गई किसी चूक के कारण न हो। यह परिवर्तन निर्धारित भुगतान तिथि के सातवें दिन की विनिमय दर से अधिक नहीं होगा ।

27. आय पर कर :

2.33 किसी अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति–प्राप्त व्यवसाय आय प्रवाह पर कोई आयकर, यदि कोई हो, को एक व्यय माना जावेगा तथा यह क्रेताओं से वसूली योग्य होगा । परन्तु, अनुज्ञप्ति–प्राप्त व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य धारा से प्राप्त आय पर लगाया गया कर टैरिफ के किसी घटक को अन्तरण योग्य न होगा। ऐसी किसी प्रकार की अन्य आय पर देय कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय होगा ।

2.34आय पर देय वास्तविक रूप से कोई कर अनुज्ञेय की गई इक्विटी से प्राप्त किसी प्रतिलाभ तक ही सीमित होगा जिसमें प्रोत्साहन राशि शामिल नहीं की जावेगी ।

2.35 आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अनुरूप कर–अवकाश के लाभ को एवं हानियों को आगे ले जाने पर कतिपय साख को क्रेताओं को अन्तरित किया जा सकेगा ।

2.36 जहां अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली पूर्णरूपेण हितग्राही/उपभोक्ता अथवा हितग्राही समूह/उपभोक्तओं हेतु कार्यरत हो, अनुज्ञप्तिधारी का आयकर दायित्व, जैसा कि लागू हो, को क्रमशः पूर्ण रूपेण हितग्राही को/उपभोक्ता को तथा हितग्राही समूह/उपभोक्ताओं को आवंटित क्षमताओं के अनुपातिक आधार पर अन्तरित किया जा सकेगा ।

28 आय पर प्रावधिक निर्धारण तथा विदेश विनियम दर परिवर्तन (एफ ई आर वी) :

2.37 आयोग द्वारा आयकर एवं विदेश विनियम दर परिवर्तन का अनुमान प्रावधिक रूप से किसी अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ अवधारण के प्रयोजन से लगाया जावेगा तथा यह विनियमों का धारा 26 एवं 27 के उपबंधों के अनुरूप वास्तविक आंकड़ों के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा ।

29. पेंशन एवं उपदान दायित्व :

2.38 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल/उनकी उत्तराधिकारी इकाइयों से संबंधित विद्यमान कर्मचारियों के वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित पेंशन एवं उपदान संबंधी अंतरण योजना की प्रभावशील तिथि से अनिधित दायित्व की राशि तथा इस दायित्व के निर्वहन की रीति आयोग द्वारा राज्य सरकार एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से परामर्श द्वारा विनिर्दिष्ट की जावेगी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मई 2005 को अधिसूचित अंतरण योजना को अधिसूचना दिनांक 13 जून 2005 द्वारा संशोधित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा अब कर्मचारियों के पेंशन निर्वहन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं के संबंध में पृथक कोष के गठन का निर्णय लिया गया है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस कोष के संबंध में न्यासियों, इसकी प्रचालन विधि तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा ।

2.39 आयोग प्रचालन एवं संधारण राशि के प्रावधान के अतिरिक्त, कर्मचारियों को देय टर्मिनल प्रसुविधाओं पर किये गये भुगतान की वास्तविक राशि तथा आगामी वर्ष हेतु प्राक्कलित आधार पर देय पेंशन की राशि के भुगतान को अनुज्ञेय करेगा । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक त्रैमास में इस दायित्व के निर्वहन किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा । देय भत्तों में अन्तर की राशि तथा वास्तविक राशि को आगामी वर्ष में समायोजित किया जावेगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, कंपनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप उनके लेखा में टर्मिनल प्रसुविधाओं से उद्भूत राशि को प्रकट करेगा ।

30. टैरिफ आय :

2.40 आयोग द्वारा विद्युत पारेषण हेतु अवधारित समस्त प्रभारों से प्राप्त आय को टैरिफ आय माना जावेगा । टैरिफ आय में पारेषण प्रभार, प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा प्रभार, एवं अन्य प्रभार जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किये जावेंगे, सम्मिलित होंगे ।

31. अन्य आय :

2.41 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारियों को दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग फीस) विनियम 2004 के अंतर्गत विविध प्रभारों एवं सामान्य प्रभारों की सूची के अन्तर्गत अन्य आय संबंधी अनुसूची को 'अन्य आय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जावेगा ।

2.42 अधिनियम की धारा 41 में विनिर्दिष्ट उस सीमा तक जिसे आयोग प्राधिकृत करेगा अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व को आय माना जावेगा ।

32. विलंब भुगतान अधिभार :

2.43 देयकों के भुगतान में देयक तिथि से 60 दिवस से अधिक विलंब होने पर, एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से दैनिक आधार पर विलंब भुगतान अधिभार आरोपित कर सकेगा ।

33. छूट :

2.44 पारेषण प्रभारों के देयकों का भुगतान साख पत्र (लैटर ऑफ क्रेडिट) द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर, 2 प्रतिशत छूट की अनुमति प्रदान की जावेगी । देयक भुगतान किसी अन्य विधि द्वारा परन्तु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयक प्रस्तुति के एक माह के भीतर किये जाने पर 1 प्रतिशत छूट की अनुमति दी जावेगी ।

34. लाभ का विभाजन :

2.45 अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय लाभ अथवा हानि की गणना इन विनियमों के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों में की गई समस्त प्रोत्साहन राशि के विचारोपरांत की जावेगी ।

2.46 अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त होने वाला लाभ अनुच्छेद 20 तक ही सीमित न होगा परन्तु उक्त सीमा से अधिक भी हो सकेगा बशर्ते अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित लक्ष्य से बेहतर निष्पादन प्रदर्शित करे ।

2.47 अनुज्ञप्तिधारी समस्त स्त्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त लाभ में से केवल 50 प्रतिशत तक ही स्वयं के पास रख सकेगा तथा शेष बचे हुए लाभ को हितग्राहियों में वितरित कर दिया जावेगा ।

36. व्यवसाय योजना तथा पूंजी नियोजन :

2.48 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करेगा जो आयोग द्वारा इस बाबत जारी निर्देशों के अनुरूप इस बाबत् विस्तृत पूंजी नियोजन योजना, वित्त निवेश योजना तथा भौतिक लक्ष्यों तक ही सीमित न होते हुए, टैरिफ अवधि के आगामी वर्ष तथा प्रत्येक वर्ष हेतु भार अभिवृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता तथा मापयंत्रण आदि की अर्हताओं की पूर्ति हेतु भी होगी ।

2.49 प्रमुख योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य विचाराधीन अवधि वर्ष में भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ की जावेगी तथा जो टैरिफ अवधि में अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जावेंगी । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों से दीर्घ–अवधि के अनुबंधों का निष्पादन करेगा जिन हेतु प्रस्तावित प्रमुख कार्य (योजनाएं) अर्न्त संयोजनों से ऊपरी तथा निचले क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभ पहुंचाएगे । ऐसी विशिष्ट योजनाएं आयोग के अनुमोदनार्थ हितग्राहियों से अनुबंधों के निष्पादन पश्चात प्रस्तुत की जावेंगी । यह सुविधा केवल ऐसे दीर्घ–अवधि हितग्राहियों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उपलब्ध कराई जावेगी जब कि वे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण क्षमता के उपयोग हेतु दीर्घ–अवधि अनुबंधों का निष्पादन कर लेगें ।

2.50 आयोग अनुज्ञप्तिधारी की पूंजी नियोजन योजना पर विचार कर उसे अनुमोदन प्रदान कर सकेगा जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण प्रस्तुत करना होगा । अनुज्ञप्तिधारी को टैरिफ आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व पूंजी नियोजन योजना को आयोग से अनुमोदन कराना होगा । अनुज्ञप्तिधारी की कतिपय वर्ष बावत् अनुमोदित पूंजी नियोजन योजना के विरूद्ध वास्तविक रूप से व्यय की गई राशियों के विवरण के अनुसार उसकी राजस्व आवश्यकता बाबत विचार किया जा सकेगा ।

2.51 अनुमोदित पूंजी नियोजन हेतु ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का अनुपात विनियम 19 के उपबंधों के अनुरूप होगा ।

अध्याय – 3

36. प्रचालन मानदण्ड :

3.1 प्रचालन मानदण्ड, जो समय–समय पर संशोधित किये जा सकेंगे, निम्नानुसार होंगे :

(1) उपकेन्द्र में सहायक ऊर्जा खपत :

आयोग द्वारा उपकेन्द्र में वातानुकूलन, प्रकाश व्यवस्था, तकनीकी खपत को नियत किये जाने वाले मानदण्डों के अनुसार सहायक ऊर्जा खपत को पारेषण हानियां का भाग माना जावेगा ।

(2) पारेषण प्रणाली में मानक उपलब्धता :

टैरिफ अवधि के प्रथम दो वर्षों में पारेषण प्रणाली की मानक उपलब्धता 97 प्रतिशत तथा अन्तिम वर्ष हेतु यह 97.5 प्रतिशत होगी । उपलब्धता की सुनिश्चितता परिशिष्ट – 1 , परिशिष्ट – 2 एवं परिशिष्ट –3 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार की जावेगी ।

37. प्रचालन तथा संधारण व्यय [ऑपरेशन एण्ड मेंटेनेंस (ओ एण्ड एम) एक्सपसेंस]

3.2 प्रचालन तथा संधारण व्ययों में कर्मियों पर व्यय, मरम्मत एवं संधारण (आर एण्ड एम) व्यय और प्रशासनिक तथा सामान्य (ए एण्ड जी) व्यय सम्मिलित होंगे । प्रचालन तथा संधारण व्ययों के मानदण्ड पारेषण लाईनों के सर्किट किलोमीटर तथा उपकेन्द्र पर 'बे' की संख्या के अनुसार निर्धारित किये गये हैं । इन मानदण्डों में कर्मियों को देय टर्मिनल प्रलाभ, शासन अथवा स्थानीय निकायों को देय कर तथा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को देय शुल्क सम्मिलित नहीं है जिनका दावा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को पृथक से करना होगा । प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर एवं प्रति 'बे' निम्नानुसार होंगे:

प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड प्रति 100 सर्किट किलोमीटर एवं प्रति बे :

प्रचालन एवं संधारण व्यय रूपये लाख/बे/सर्किट किलोमीटर*	2007	2008	2009
400 केवी वोल्टेज स्तर			
प्रति 100 सर्किट किलोमीटर अथवा उसका भाग	9.48	10.04	10.65
प्रति बे	4.31	4.56	4.86
220 के वी वोल्टेज स्तर			
प्रति 100 सर्किट किलोमीटर अथवा उसका भाग	10.66	11.30	11.98
प्रति बे	4.87	5.17	5.48
132 के वी वोल्टेज स्तर			
प्रति 100 सर्किट किलोमीटर अथवा उसका भाग	10.66	11.30	11.98
प्रति बे	4.60	4.87	5.17

* वित्तीय वर्ष 2005 के लेखा परीक्षित तुलन पत्रक की प्राप्ति के अध्यधीन ।

3.3 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु कुल अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना 'बे' की संख्या तथा लाईन की सर्किट किलोमीटर लंबाई को क्रमशः संचालन एवं संधारण व्यय प्रति बे तथा प्रति सर्किट–किलोमीटर के गुणनफल से प्राप्ति द्वारा की जावेगी । अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, जैसा लागू हो, अनुज्ञेय–योग्य प्रचालन तथा संधारण व्ययों के समर्थन में, वास्तवित अथवा प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) लाईनों की लंबाई के सर्किट किलोमीटरों का विवरण तथा प्रत्येक वोल्टेज स्तर हेतु 'बे' की संख्या पृथक–पृथक प्रस्तुत करेगा ।

3.4 टर्मिनल प्रलाभों का भुगतान पृथक से विनियम 29 में की गई चर्चानुसार किया जावेगा ।

38. कार्यकारी पूंजी :

3.5 टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(1) एक माह के प्रचालन तथा संधारण व्यय;

(2) संधारण कलपुर्जों (स्पेअर्स), पर व्यय जो संयंत्र तथा मशीनरी की एतिहासिक लागत पर एक प्रतिशत की दर से होगा; तथा

(3) लक्ष्य उपलब्धि स्तर के आधार पर की गई गणनानुसार पारेषण प्रभारों के दो माहों के बराबर प्राप्ति योग्य सामग्रियों की लागत ।

39. वार्षिक राजस्व आवश्यकता अथवा वार्षिक पारेषण प्रभार (Annual Transmission Charges - TSC)

3.6 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कुल वार्षिक व्यय तथा पूंजी (इक्विटी) पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की गणना विनियम 17 से 29 सहपठित विनियम 36 से 38 के अनुसार अनुज्ञेय व्ययों एवं प्रतिलाभ के आधार पर की जावेगी ।

3.7 किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता उपरोक्त अनुच्छेद 3.6 के अनुसार किये गये कुल व्ययों तथा प्रतिलाभ की गणना में से निम्न लिखित राशियों को घटा कर की जावेगी :

(i) इन विनियमों के विनियम 2.41 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्य आय से प्राप्त की गई राशि ।

(ii) राज्य सरकार के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों अथवा कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रो से विद्युत उत्पादन अथवा राज्यीय लघु–अवधि खुली पहुंच क्रेताओं से संबंधित नीति निर्देशों के अन्तर्गत विशेष व्यवहार के अन्तर्गत हितग्राहियों से पारेषण प्रभारों की वसूली की राशि ।

(iii) विनियम 2.42 में उल्लिखित अन्य व्यवसाय से अर्जित राजस्व की राशि ।

(iv) अर्न्तराज्यीय ऊर्जा लेन–देन से अर्जित राजस्व की राशि ।

3.8 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उसकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता जिसकी गणना हितग्राहियों से वार्षिक पारेषण प्रभारों (टीएससी) के रूप में की गई है, की वसूली किये जाने बाबत प्राधिकृत होगा ।

40. हितग्राहियों द्वारा पारेषण प्रभार (टीएससी) भुगतानों में हिस्सेदारी तथा तत्संबंधी भुगतानः

3.9 वार्षिक पारेषण प्रभार भुगतानों को समस्त दीर्घ–अवधि हितग्राहियों को वहन करना होगा । दीर्घ–अवधि हितग्राहियों से पारेषण प्रभारों की मासिक वसूली निम्न विधि द्वारा की जावेगी :

कुल मासिक पारेषण प्रभार (मंथली ट्रांसमीशन प्रभार – एमटीसी) $MTC = \left[\frac{TSC}{12}\right] - 0.5TRSC$

जहाँ,

T S C = आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये कुल वार्षिक पारेषण प्रभार

T R S C = राज्यीय पारेषण प्रणाली के लधु–अवधि पारेषण क्रेताओं से उपयोग द्वारा उक्त माह बाबत पारेषण प्रभारों की कुल वसूली राशि

दीर्घ–अवधि हितग्राहियों द्वारा मासिक पारेषण प्रभारों के भुगतान में हिस्सेदारी की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जावेगी :

किसी हितग्राही द्वारा भुगतान किये जाने वाला मासिक पारेषण प्रभार $= MTC \times \frac{CL}{SCL}$

CL = राज्यीय पारेषण प्रणाली के दीर्घ–अवधि पारेषण हितग्राही को आवंटित पारेषण क्षमता

SCL = अर्न्त राज्यीय पारेषण प्रणाली के समस्त दीर्घ अवधि पारेषण हितग्राहियों को आवंटित पारेषण क्षमता का योग

3.10 एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को दीर्घ–अवधि हितग्राहियों से उसके पारेषण प्रभारों की वसूली बाबत मासिक आधार पर निम्न विकल्पों में से किसी एक अथवा निम्न प्रभारों के संयोजन के अनुसार अनुमति दी जा सकेगी :

(अ) पारेषण प्रभारों का प्रभारण रूपये प्रति मेगावाट प्रतिमाह में किया जावेगा;

(ब) प्रतिक्रियात्मक (रीएक्टिव) ऊर्जा प्रभार, जिन्हें प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा की मद के व्ययों की वसूली हेतु अधिरोपित किया जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी एकत्रित किये गये प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा प्रभारों का एक पृथक लेखा संधारित करेगा तथा इस कोष का उपयोग वह प्रणाली में कैपेसीटर एवं प्रतिक्रियात्मक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हेतु करेगा;

(स) अन्य कोई प्रभार, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावेगा ।

3.11 लघु–अवधि हितग्राही राशि का भुगतान मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 के अनुसार कर सकेंगे ।

41. पारेषण हानियां तथा उसका उपचार :

3.12 किसी विशिष्ट वोल्टेज स्तर से अधिक अथवा किसी विशिष्ट वोल्टेज स्तर तक की पारेषण हानि की गणना, विभिन्न अर्न्तमुखी बिन्दुओं से पारेषण प्रणाली में प्रारंभिक तौर पर अन्तःक्षेपित (इन्जेक्टिड) समस्त ऊर्जा की मात्रा (X) तथा राज्य की पारेषण प्रणाली से समस्त मांग के तथा अन्य उपयोगकर्ताओं को पारेषित ऊर्जा (Y) के अन्तर द्वारा की जावेगी । किसी विशिष्ट वोल्टेज स्तर से अधिक अथवा किसी विशिष्ट वोल्टेज स्तर की पारेषण हानि के प्रतिशत को उक्त स्तर तक की पारेषण हानि के जो पारेषण प्रणाली में प्रारंभिक रूप से अन्तःक्षेपित की गई है के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जावेगा ।

$$\text{प्रतिशत पारेषण हानि} = \frac{(X - Y)\ X\ 100}{X}$$

(पारेषण हानियां जो मध्यप्रदेश प्रणाली से बाहर घटित हो रही हों, को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण हानियों के अवधारण हेतु नहीं माना जावेगा) ।

3.13 पारेषण हानियों को पारेषण प्रणाली के हितग्राहियों के ऊर्जा लेखा में विकलित किया जावेगा ।

42. प्रोत्साहन एवं अर्थदण्ड :

3.14 एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को विनियम 36 में विनिर्दिष्ट अनुसार, लक्ष्य से अधिक भारित वार्षिक उपलब्धि प्राप्त किये जाने पर, निम्न सूत्र अनुसार प्रोत्साहन की पात्रता होगी :

$$\text{प्रोत्साहन (Incentive)} = \text{पूंजी (इक्विटी)} \times \frac{[\text{प्राप्त की गई वार्षिक उपलब्धता} - \text{लक्ष्य उपलब्धता}]}{100}$$

जहां,

पूंजी (इक्विटी) की गणना विनियम 19 के अनुसार की जावेगी ।

3.15 अनुज्ञप्तिधारी एवं दीर्घ–अवधि खुली पहुंच उपभोक्ता प्रोत्साहन का बंटवारा उक्त वर्ष हेतु उनकी औसत आवंटित/अनुबंधित पारेषण क्षमता के अनुपात में करेंगे ।

3.16 लक्ष्य उपलब्धता में कमी होने पर, पारेषण प्रभारों की वसूली आनुपातिक आधार पर की जावेगी । शून्य उपलब्धि होने पर, पारेषण प्रभार वसूली योग्य न होंगे ।

अध्याय–4

विविध

43. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति :

4.1. यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कोई कठिनाई आती हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कार्य करने अथवा उत्तरदायित्व संभालने हेतु निर्देशित कर सकता है जो आयोग के मत में कठिनाइयां दूर करने हेतु आवश्यक अथवा वांछनीय हैं ।

44. संशोधन हेतु शक्ति :

4.2 आयोग किसी भी समय इन विनियम के उपबन्धों में जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा ।

45. व्यावृत्ति :

4.3 इस विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो ।

4.4 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

4.5 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के आधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है ।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिाति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में की गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

.आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उपसचिव

पारेषण प्रणाली उपलब्धता की गणना संबंधी प्रक्रिया :

i) उपलब्धता की गणना पृथक–पृथक की जावेगी तथा प्रत्येक वोल्टेज स्तर हेतु घोषित की जावेगी । पारेषण प्रणाली उपलब्धता को निम्न दर्शायें सूत्र अनुसार ज्ञापित किया जावेगा । पारेषण के विभिन्न अवयव पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की गणना के प्रयोजन से निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किये जावेंगेः

(अ) ए सी पारेषण लाइनें : ए.सी. पारेषण लाईन के प्रत्येक सर्किट को एक अवयव माना जावेगा ।

(ब) अर्न्तसंयोजित (इंटर कनेक्टिंग) ट्रांसफार्मर (आई सी टी) : प्रत्येक आई सी टी बैंक (तीन एकल फेज ट्रांसफार्मरों को सम्मिलित कर) एक अवयव निर्मित करेगा ।

(स) स्थिर वार संपूरक – स्टेटिक वार (VAR) कंपेनसेंटर (एस वी सी) : एस वी सी मय एस वी सी ट्रांसफार्मर मिलकर एक अवयव निर्मित करेंगे । तथापि इन्डक्टिव रेटिंग हेतु 50 प्रतिशत तथा कैपेसिटिव रेटिंग हेतु 50 प्रतिशत क्रेडिट दिया जावेगा ।

(द) स्विचड बस रीएक्टर : प्रत्येक स्विचड बस रीएक्टर को एक अवयव माना जावेगा ।

ii) ए.सी. प्रणाली हेतु प्रणाली उपलब्धता की गणना निम्नानुसार की जावेगी :

ए सी प्रणाली हेतु प्रणाली उपलब्धता का प्रतिशत

$$= \frac{o \times AVo + p \times AVp + q \times AVq + r \times AVr}{o + p + q + r} \times 100$$

जहां

o हैं कुल ए सी लाईनों की संख्या

AV0 है 0 संख्या में ए सी लाईनों की उपलब्धता (जैसा कि 8 (बी) में परिभाषित है)

p हैं स्विच्ड बस रीएक्टरों की संख्या

AVp हैं p संख्या में स्विचड् रीएक्टरों की उपलब्धता

q हैं आई सी टी की कुल संख्या

AV_q है q संख्या में आई सी टी की उपलब्धता (जैसा कि 8 (c) में परिभाषित है)

r है एस वी सी की कुल संख्या

AV_r है r संख्या में एस वी सी की उपलब्धता

(iii) पारेषण अवयवों की प्रत्येक श्रेणी का भारित कारक (Weightage Factor) निम्नानुसार होगाः

(अ) एसी लाईन के प्रत्येक सर्किट हेतु – राज्यीय पारेषण लाईनों हेतु – सर्ज इपिडेंस लोडिंग सिल (SIL) गुणित (x) सर्किट किलोमीटर । अर्न्तराज्यीय पारेषण लाईनों हेतु – अक्षतिपूरित (अनकंपेन्सेटेड) लाईन हेतु सर्ज इंपिडेस लोडिंग गुणित (x) सर्किट किलोमीटर में मापी गई लाईन की लंबाई का 50 प्रतिशत।

विभिन्न वोल्टेज स्तरों एवं संवाहक आवृतियों (Conductor Configuration) हेतु सिल (SIL) निर्धारित क्षमता **परिशिष्ट – 2** पर दी गई है । तथापि, परिशिष्ट – अ में नहीं दर्शाए गये वोल्टेज स्तरों तथा/अथवा संवाहक आवृत्तियों हेतु, तकनीकी आधार पर उपलब्धता गणना हेतु उचित सिल (SIL) प्रयुक्त किये जा सकते हैं जिसकी सूचना दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं की दी जावेगी ।

(ब) स्विचड बस रीएक्टर हेतु–निर्धारित (रेटेड) एम व्ही ए आर क्षमता ।

(स) प्रत्येक आई सी टी बैंक हेतु–निर्धारित (रेटेड) एम व्ही ए क्षमता ।

(द) एस वी सी हेतु–निर्धारित रेटेड एम वी ए आर क्षमता (इंडक्टिव तथा कैपेसिटिव) ।

(iv) पारेषण अवयवों की प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता की गणना भारित कारक, विचाराधीन कुल घंटे तथा उक्त श्रेणी के प्रत्येक अवयव हेतु अनुपलब्ध घंटों के आधार पर की जावेगी । पारेषण अवयवों की प्रत्येक श्रेणी हेतु उपलब्धता की गणना का सूत्र **परिशिष्ट – 3** में दर्शाया गया है ।

(v) निम्न कारणों से आकस्मिक परिस्थितियों में लाईन अवरोध (आऊटेज) के कारण जिन हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं है, पारेषण अवयव उन्हें उपलब्ध होना माना जावेगा :

(अ) अन्य एजेन्सी/एजेन्सियों द्वारा पारेषण अवयवों को उनकी पारेषण प्रणाली में उनके संधारण तथा निर्माण हेतु बन्द (शट डाऊन) करना ।

(ब) अति वोल्टेज के कारण लाईन की मानव संचालित (मेनुअल) ट्रिपिंग करना तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर एल डी सी) के निर्देशानुसार स्विचड बस रिएक्टर की मानव संचालित ट्रिपिंग करना ।

(vi) निम्न दर्शाईं आकस्मिक परिस्थितियों के कारण होने वाले पारेषण अवयव के अवरोध (आऊटेज) के समय को विचाराधीन समय अवधि में अवयव की कुल समय अवधि में से कम कर दिया जावेगा :

(अ) प्राकृतिक कारणों (acts of God) एवं अपरिहार्य कारणों से होने वाली घटनाओं से आपदायों (force majeure) से होने वाले अवयवों में अवरोध (आउटेज) की परिस्थितियां जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर हैं ।

(ब) ग्रिड में होने वाली कोई घटना/बाधा जिसके लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं है, उदाहरणतया, उपकेन्द्र में होने वाले किसी दोष अथवा एजेन्सी द्वारा संचालित किसी अन्य बे के कारण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अवयवों में अवरोध (आउटेज), ग्रिड में बाधा के कारण लाईनों, आई सी टी आदि का ट्रिपिंग होना, आदि । ग्रिड की कतिपय घटना/बाधा के कारण प्रणाली को सुधार करने की समय अवधि में यदि क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर एल डी सी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) से निर्देश प्राप्त होने पर भी युक्तियुक्त समय में अवयव पुनः संचालित नहीं हो जाता, ऐसी दशा में अवयव को अवरोध अवधि के पूर्ण समय हेतु अनुपलब्ध माना जावेगा तथा अवरोध (आउटेज) समय पारेषण अनुज्ञप्ति हेतु उक्त कारण से मान्य होगा ।

परिशिष्ट – 2

ए सी लाईनों की सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग (सिल)

सरल क्रमांक	लाईन वोल्टेज (के वी)	संवाहक आवृतियां	सिल (मेगावाट)
1.	765	क्वाड बर्सिमिस (Quad Bersimis)	2250
2.	400	क्वाड बर्सिमिस (Quad Bersimis)	691
3.	400	ट्विन मूस (Twin Moose)	515
4.	400	ट्विन ए ए ए सी (Twin AAAC)	425
5.	400	क्वाड जेबरा (Quad Zebra)	647
6.	400	ट्विन ए ए ए सी (Twin AAAC)	646

सरल क्रमांक	लाईन वोल्टेज (के वी)	संवाहक आवृतियां	सिल (मेगावाट)
7.	400	ट्रिपल स्नोबर्ड (Tripple Snowbird)	605
8.	400	ए सी के सी A C K C (500 / 26)	556
9.	400	ट्विन ए सी ए आर (Twin ACAR)	557
10.	220	ट्विन जेबरा (Twin Zebra)	175
11.	220	सिंगल जेबरा (Single Zebra)	132
12.	132	सिंगल पेंथर (Single Panther)	50
13.	66	सिंगल डॉग (Single Dog)	10

परिशिष्ट – 3

प्रत्येक श्रेणी के पारेषण अवयवों के गणना के सूत्र

AVo (o संख्या में एसी लाईनों की उपलब्धता)

$$= \frac{\sum_{i=1}^{o} Wi(Ti - TNAi)}{Ti} \Big/ \sum_{i=1}^{o} Wi$$

AVq (q संख्या में आई सी टी की उपलब्धता)

$$= \frac{\sum_{K=1}^{q} Wk(Tk - T_{NA}k)}{Tk} \Big/ \sum_{k=1}^{q} Wk$$

AVr (r संख्या मे एस वी सी की उपलब्धता)

$$\left[= \sum_{l=1}^{r} 0.5WIl\,(TIl - TNAIl) + \sum_{l=1}^{r} 0.5\,WCl\,(TCl - ACl) \right] \Big/ \left[\sum_{l=1}^{r} 0.5WIl + \sum_{l=1}^{r} 0.5\,WCl \right]$$

AVs (s संख्या मे स्विच बस रिएक्टर्स की उपलब्धता)

$$= \frac{\sum_{m=1}^{s} Wm(Tm - TNAm)}{Tm} \Big/ \sum_{m=1}^{s} Wm$$

जहां

Wi = ith पारेषण लाईन का भारित फेक्टर = अक्षतिपूरित लाईन (सिल) हेतु सर्ज इम्पिडेंस लोडिग गुणित सर्किट किलो मीटर

Wk = kth आई सी टी हेतु भारित फेक्टर =रेटेड एम वी ए क्षमता

Wi*l* तथा Wc*l* =ith एस वी सी के इण्डक्टिव तथा कैपेसिटिव संचालन के भारित फेक्टर = रेटेड एम वी ए आर क्षमता (इंडक्टिव तथा कैपेसिटिव)

Wm =mth बस रिएक्टर हेतु भारित फेक्टर = रेटेड एम वी ए आर क्षमता

Ti,Tk, Ti*l*, Ti*l*,Tc*l* व Tm = ith विचाराधीन अवधि के अन्तर्गत ith ए सी लाईन, Kth आई सी टी, lth एस वी सी (इंडिक्टिव ऑपरेशन) तथा mth स्विचड बस रिएक्टर ब्लाक (अनुच्छेद 7.4 (ए) के पैरा 6 में दिये गये कारणों से अवरोध की अवधि को छोड़कर जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित नही है)

TNAi TNAk, TNAll TNACl =ith एसीलाईन, Kth आई सी टी, lth एस वी सी (कैपेसिटिव ऑपरेशन) तथा mth स्विचड बस रिएक्टर ब्लाक हेतु अनुपलब्ध घंटे (अनुच्छेद 7.4 (ए) के पैरा 5 अनुसार अवरोध की अवधि को छोड़कर जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित नही है जिसे उपलब्धता मान लिया गया है)

अवमूल्यन अनुसूची

परिसंपत्तियों का विवरण		उपयोगी आयु (वर्षों में)	दर (90 प्रतिशत की दर से)	3= 1x2
		1.	2.	3.
ए	पूर्ण स्वत्वाधिकार के सतत अधीन भूमि	इनफिनिटी	–	
बी	पट्टे के अन्तर्गत धारित भूमि			
(a)	भूमि में निवेश	पट्टे की अवधि अथवा अवधि जो पट्टा सौपने के समय से शेष बची हो ।	–	
(b)	स्थल सफाई की लागत	पट्टे की अवधि जो स्थल सफाई दिनांक को शेष बची है ।	–	
सी	परिसम्पतियां, नवीन क्रय की गई :			
(a)	उत्पादन केन्द्रों में संयंत्र तथा मशीनरी मय संयंत्र नींव के			
(i)	जल – विद्युत	35	2.57	90
(ii)	भाप–विद्युत एन.एच.आर.एस. तथा अवशिष्ट उष्मा पुर्नप्राप्ति बायलर/संयंत्र	25	3.60	90
(iii)	डीजल–विद्युत एवं गैस संयंत्र	15	6.00	90
(b)	शीत टॉवर तथा संचार जल प्रणालियां	25	3.60	90
(c)	द्रव चालित कार्य जो जल विद्युत प्रणाली के भाग हो, मयः			
(i)	बांध, स्पिलवे, वीयर, नहरें, लोहयुक्त सीमेंट, कंक्रीट, फ्लूम तथा सायफन	50	1.80	90
(ii)	लौहयुक्त कंक्रीट पाईप लाईन, सर्जटेंक, स्टील पाईप लाईन, स्लूस गेट, स्टील सर्ज (टेंक), द्रव चालित नियंत्रण वाल्व तथा अन्य द्रव चालित कार्य	35	2.57	90
(d)	भवन तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य जो स्थाई प्रकार के हों तथा उपरोक्त कार्यों में सम्मिलित न हों :			
(i)	कार्यालय, शो–रूम	50	1.80	90
(ii)	ताप–विद्युत उत्पादन संयंत्र सम्मिलित	25	3.60	90
(iii)	जल–विद्युत उत्पादन संयंत्र सम्मिलित	35	2.57	90
(iv)	अस्थाई संरचना जैसे लकड़ी युक्त निर्माण	5	18.00	90
(v)	सड़कें, कच्ची सड़कों को छोड़कर	50	1.80	90
(vi)	अन्य	50	1.80	90
(e)	ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मर (गुमटी), उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थिरीकृत यंत्र (मय संयंत्र नींव के)			
(i)	ट्रांसफॉर्मर (मय नींव के) जो 100 किलो वोल्ट एम्पीयर तथा उससे अधिक की श्रेणी में आते	25	3.60	90

परिसंपत्तियों का विवरण		उपयोगी आयु (वर्षों में)	दर (90 प्रतिशत की दर से)	3= 1x2
		1.	2.	3.
	हैं।			
(ii)	अन्य	25	3.60	90
(f)	स्विच गियर, मय केबल संयोजन के	25	3.60	90
(g)	तड़ित अवरोधक			
(i)	स्टेशन प्रकार के	25	3.60	90
(ii)	पोल प्रकार के	15	6.00	90
(iii)	समकालिक (सिंक्रोनस) कंडेन्सर	35	2.57	90
(h)	बैटरी	5	18.00	90
(i)	भूमिगत केबल मय संयुक्त बक्से (जॉईंट बाक्स) तथा विच्छेदित बक्से (डिसकनेक्टेड बाक्स)	35	2.57	90
(ii)	केबल वाहन नली (डक्ट) प्रणाली	50	1.80	90
(I)	शिरोपरि लाईन मय टेकों के			
(i)	गढ़ी हुई (फेब्रिकेटेड) स्टील पर लाइनें जो 66 के.वी. के सामान्य वोल्टेज से अधिक पर संचालित हों	35	2.57	90
(ii)	स्टील टेकों (सपोर्ट) पर लाइनें जो 13.2 किलोवोल्ट से अधिक तथा 66 किलोवोल्ट से अनाधिक सामान्य वोल्टेज पर संचालित हो	25	3.60	90
(iii)	स्टील अथवा लौहयुक्त कंक्रीट, टेकों पर लाईनें	25	3.60	90
(iv)	उपचारित काष्ठ टेकों पर लाईनें	25	3.60	90
(j)	मापयंत्र (मीटर)	15	6.00	90
(k)	स्वचालित वाहन	5	18.00	90
(l)	वातानुकूलित			
(i)	स्थिर प्रकार क	15	6.00	90
(ii)	चलायमान (पोर्टेबल)	5	18.00	90
(m)	कार्यालय फर्नीचर तथा फिटिंग	15	6.00	90
(i)				
(ii)	कार्यालय उपकरण	15	6.00	90
(iii)	आंतरिक तार प्रणाली मय फिटिंग तथा उपकरण के	15	6.00	90
(iv)	पथ प्रकाश फिटिंग	15	6.00	90
(n)	किराये पर प्रदाय यंत्र			
(i)	मोटरों के अतिरिक्त	15	6.00	90
(ii)	मोटरें	15	6.00	90
(o)	संसूचना उपकरण			
(i)	रेडिया तथा उच्चतर आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) वाहक प्रणाली	15	6.00	90.
(ii)	दूरभाष लाइनें तथा दूरभाष यंत्र	15	6.00	90
(p) पूर्व प्रयुक्त परिसंपत्तियां (सेकंड हैंड) का क्रय अथवा परिसंपत्तियां जो अन्य किसी कारण से अनुसूची में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ।		ऐसी युक्तियुक्त अवधि जैसा कि, प्रत्येक प्रकरण में उसके स्वामी द्वारा उसका अधिग्रहण करते समय सम्पत्ति के प्रकार उसकी आयु एवं दशा को ध्यान में रखते हुए सक्षम शासन द्वारा अवधारित किया जावे ।		